दिनांक ... को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

30/1/24 पत्रावली पेश। अपीली सं. 1 से 13 के जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/2/24 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

20/02/2024 पत्रावली पेश। विप्रार्थी 14 एवं प्रार्थी अधि. उपस्थित। विप्रार्थीगण 1 से लगायत 13 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने मौखिक बहस कथन कीया की प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में पेश कर रखा है जो वादीगण के पक्ष में निर्णित होना है। मौके पर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है लगातार काबिज काश्त की जा रही है। यदि प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि पर विप्रार्थीगण का ... नहीं कीया गया था मौके ... परिवर्तन की पूर्ण संभावना ... होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने से इंकार नहीं कीया जा सकता। विप्रार्थीगण प्रत्येक दिन मौके पर कब्जा करने एवं भूमि बेचान करने की धमकी देते रहते हैं।

लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ra
Date: 2024.02.23 17:49:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

20/02/24 जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मौके की स्थिति में बदलाव से सुविधा का असंतुलन भी होगा, न्यायालय में पेंडिंग केसों बढ़ेगी, इसलिए प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में प्रवेश न करने, मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंदी हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो।

हमने पत्रावली में पेश दस्तावेजों का अवलोकन व्यथित मस्तिष्क से कीया। विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस पर मनन कीया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजों एवं मौखिक कथनों अनुसार घोषणा का दावा न्यायालय में आतदारी दौरान हुई विचाराधीन है जिसके सेटलमेंट के मौके पर कब्जा होते हुए भी भूल के कारण राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण गण के नाम दर्ज हो गयी जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। मौके पर कब्जे व न्यायिक पेंडिंगियां एवं रेकर्ड में परिवर्तन से इंकार नहीं कीया जा सकता बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं कीया जा सकता जिससे भी प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं सुविधा का असंतुलन भी होना साबित होता है। अतः वादग्रस्त आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीनों तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कीया जाकर आदेशित कीया जाता है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी 640, 648, 649, 653, 654, 655 में रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबंद रहेंगे, अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहेंगे, मौके व रेकर्ड में स्वयं या किसी भी से दखलदाजी नहीं करेंगे। पत्रावली फैसला से शुमार होकर नम्बर से एक कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.02.2024 को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 20/02/2024

सहायक कलेक्टर
... (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma
Date: 2024.02.23 17:49:28
Reason: SelfAttested